



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11072022-237235
CG-RJ-E-11072022-237235

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3015]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944

No. 3015]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 28 जून, 2022

का.आ. 3171(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजनाओं को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	तरंगा हिल - अंबाजी - आबु रोड नई बड़ी लाइन परियोजना	राजस्थान, गुजरात

[फा. सं. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. I]

बी. के. गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 28th June, 2022

S.O. 3171(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

Sl. No.	Name of Project	State / UT
(1)	(2)	(3)
1.	Tarangahill – Ambaji - Abu Road New BG line Project	Rajasthan, Gujarat

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. I]

B. K. GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)